

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनोवर्सिटी  
दूरभाष : (0751) 2341896  
(0751) 2442829  
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर

क्रमांक: एफ/डी.सी.डी.सी./2015/2039

दिनांक: 06-06-2015

## सूचना

मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल अधिसूचना दिनांक 17.09.2014 के सन्दर्भ में चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक सत्र 2014-15 से एवं नर्सिंग आयुर्वेदिक यूनानी होम्योपैथिक योग, नैचरोपेथी सिद्ध, सह चिकित्सा विषयों के महाविद्यालय शैक्षणिक सत्र 2015-16 से म.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर में स्थानांतरण हो गये है।

उपरोक्त शैक्षणिक सत्र से पूर्व प्रवेश प्राप्त समस्त स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्र पूर्ववर्ती जीवाजी विश्वविद्यालय से यथावत संबद्ध रहेंगे।

अतः चिकित्सा संकाय के समस्त नवीन महाविद्यालयों एवं नवीन पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता हेतु संस्थायें म.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर में आवेदन करेंगे।

अधिष्ठाता

महाविद्यालयीन विकास परिषद

Please put up.

संख्या सं 11/11/14 P.02

1726  
07/11/14

10/11/14

80

मध्यप्रदेश शासन  
चिकित्सा शिक्षा विभाग  
मंत्रालय

अधिसूचना

मोपाल, दिनांक 09, 2014

क्रमांक एफ-4-55/2014/55-2 :: मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (क्रमांक 19 सन् 2011) की धारा 6 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, तारीख 25/09/2014 को उस तारीख के रूप में अधिसूचित करती है, जिसको कि उपधारा (1) के अधीन निर्दिष्ट क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित महाविद्यालय/विद्यालय या संस्था, विश्वविद्यालय के संशोधित परिनियम क्रमांक 26 में विहित की गई निम्नलिखित रीति में विश्वविद्यालय से सहयुक्त और विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त समझे जाएंगे, अर्थात्:-

- (1) विद्यमान चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालय, शैक्षणिक सत्र 2014-15 से विश्वविद्यालय से सहयुक्त हो जाएंगे तथा उक्त शैक्षणिक सत्र में चिकित्सा और दन्त चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश प्राप्त करने वाले पूर्वस्नातक तथा स्नातकोत्तर छात्रों का बैच, विश्वविद्यालय से संबंधित उपरोक्त वर्णित संकायों का प्रथम बैच होगा;
- (2) विद्यमान नर्सिंग, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक, योग, नैचुरोपेथी, सिद्ध, सह-चिकित्सा और अन्य सहबद्ध विषयों के महाविद्यालय/विद्यालय/संस्था, विश्वविद्यालय से शैक्षणिक सत्र 2015-16 से सहयुक्त हो जाएंगे तथा उक्त शैक्षणिक सत्र में उपरोक्त संस्थाओं में प्रवेश प्राप्त करने वाले पूर्व-स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्रों का बैच, विश्वविद्यालय से संबंधित उपरोक्त वर्णित संकायों का प्रथम बैच होगा;
- (3) उपरोक्त (1) तथा (2) में वर्णित बैचों से पूर्व प्रवेश प्राप्त समस्त पूर्व-स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्र पूर्ववर्ती विश्वविद्यालयों से यथावत संबंध रहेंगे।
- (4) विद्यमान महाविद्यालय/संस्थान, संबद्धता के लिए विश्वविद्यालय को आवेदन करेंगे और विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार हेतु विश्वविद्यालय द्वारा यथा विहित शुल्क का भुगतान अनिवार्य रूप से करेंगे।

निरंतर .....2

5

(5) भविष्य में मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (कमांक 19 सन् 2011) की धारा 6 की उपधारा (2) में वर्णित विषयों के समस्त नवीन महाविद्यालय तथा संस्थान अथवा नवीन पाठ्यक्रमों की संबद्धता हेतु मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर को अधिनियम, परिनियम, अध्यादेश और विनियमों में वर्णित रीति के अनुसार आवेदन करेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,



(एस.एस. कुमर)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

चिकित्सा शिक्षा विभाग

## म.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर



पृ. कमांक/म.प्र.आ.वि.वि. /2014/1488A

जबलपुर दिनांक 18/9/2014

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित:

1. कुलसचिव, बरकउल्ला वि.वि. भोपाल/जीवाजी वि.वि. ग्वालियर/रानी दुर्गावती वि.वि. जबलपुर/डॉक्टर हरीसिंह गौर वि.वि. सागर/अवधेश प्रताप सिंह वि.वि. रीवा/देवी अहिल्या वि.वि. इंदौर/विक्रम वि.वि. उज्जैन।
2. म.प्र. के समस्त अधिष्ठाता/प्राचार्य, चिकित्सा /दंत चिकित्सा /नर्सिंग/आयुर्वेदिक/यूनानी /होम्योपैथिक/योग/नैचुरोपैथी/सिद्ध/पैरामेडिकल महाविद्यालय म.प्र.।
3. राज्यपाल के उप सचिव मध्यप्रदेश।
4. उपसचिव, म.प्र.शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल।
5. संचालक चिकित्सा शिक्षा विभाग भोपाल।
6. वित्त नियंत्रक, म.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर
7. कुलपति/कुलसचिव कार्यालय, म.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर।
8. विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारीगण।
9. उप कुलसचिव, (अका.) उक्त अधिसूचना को वि.वि. की बेवसाइड [www.mpsu.edu.in](http://www.mpsu.edu.in) पर अपलोड करायें।

कुलसचिव

म.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय  
जबलपुर

